रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244949
CG-DL-E-06042023-244949

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1534] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945
No. 1534] NEW DELHI, MONDAY, ARPIL 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

का.आ. 1612(अ).—केन्द्रीय सरकार को पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5750 दिनाँक, 13.12.2022 का.आ. 5988 (अ) दिनाँक 21.12.2022 में संलग्न अनुसूची में विनिद्रिष्ट भूमि में, आँध्र प्रदेश राज्य में श्रीकाकुलम जिला में श्रीकाकुलम से अंगुल पाइपलाइन (एसएपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इडिया) लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

श्रीकाकुलम -अंगुलपाइपलाइन (एसएपीएल) परियोजना					
जिला- पववजथपुरम मन्यम		**राज्य : आंध्र प्रदेश**			
मंडल का नाम	**गाँव कानाम**	**सर्वेनं०**	**क्षेत्रफल**		
			हेक्टर	**आरे**	**वर्गमीटर**
गुमलक्ष्मीपुरम	कोथागुडा/डब्बलगुडा	34	00	18	28
		33	00	28	34
		29/1	00	23	84
		26	00	03	09
		27/2	00	04	87
		27/3	00	10	89
		28	00	14	61
		24	00	22	22
		35	00	08	91
		23	00	00	85
		22	00	26	87
		20/2	00	00	86
		20/1	00	17	06

[फा. सं. एल-14014/238/2022-जीपी-II(ई-45227)]

एम. आर. नाज़मी, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

S.O. 1612(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas. **S.O.No.5988 (E) dated 13.12.2022, notified in the Extraordinary Gazette of India No.5750 dated 21.12.2022** issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act, Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of **laying pipeline form Srikakulam to Angul (SAPL) Project, Parvathipuram Manyam District in the State of Andhra Pradesh by the GAIL (India) Ltd., Srikakulam**

AND WHEREAS copies of the said Gazette notification were made available to the public on 30.12.2022;

AND WHEREAS the objections have been received from the land owners for laying of gas pipeline and disposed off as per Appendix-C;

AND, WHEREAS the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government;

AND FURTHER WHEREAS the Central Government has, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

AND FURTHER, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, Proposing to lay the pipe line and there up the Right of such User in the land shall subject to the terms and Conditions so imposed, vest, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

SRIKAKULAM – ANGUL PIPELINE (SAPL)PROJECT					
District-Parvathipuram Manyam		**State : Andhra Pradesh**			
Name of Mandal	**Name of Village**	**Survey no.**	**Area**		
			Hector	**Are.**	**Sq.mtr.**
Gummalakshmipuram	Kothaguda/Dabbaliguda	34	00	18	28
		33	00	28	34
		29/1	00	23	84
		26	00	03	09
		27/2	00	04	87
		27/3	00	10	89
		28	00	14	61
		24	00	22	22
		35	00	08	91
		23	00	00	85
		22	00	26	87
		20/2	00	00	86
		20/1	00	17	06

[F. No. L-14014/238/2022-GP-II(E- 45227)]

M. R. NAZMI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA